प्रेस – विज्ञप्ति दिनांक 01.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

----अलीनगर पुलिस टीम द्वारा घरो में चोरी करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई

----रेकी कर ताला लगें घरो में आभूषण व अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह के तीन शातिर अपराधी,चोरी के आभूषणो के साथ गिरफ्तार

----घर में चोरी करने वाले 03 चोर गिरफ्तार: 02 शातिर बाल अपचारी भी थे शामिल

----चोरी किये गये आभूषणों व अन्य सामान की कुल अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रु0 है, जिसको पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया।

----थाना अलीनगर पुलिस टीम को रेवसा रिंग रोड रेलवे अन्डर पास के नीचे गहनो/जेवरात का बंटवारा करने के दौरान मिली सफलता

घटनाक्रम- दिनांक 22.08.2024 को पीडीडीयू रेलवे स्टेशन अन्तर्गत लो०पा० (मे०) पद पर कार्यरत वादी कन्हैया लाल निवासी Q.No. 416/CD मे लोको कालोनी थाना अलीनगर। कन्हैया लाल जो दिनांक 16.08.2024 को घर को पूरी तरह से बन्द करके अपने घर जौनपुर गये थे । और दिनांक 22.08.2024 को घर आने पर घर के पीछे का दीवार काटकर और पिछला दरवाजा खोलकर व गोदरेज का लाक तोडकर सारा गहना अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 195/2024 धारा 305/331(4) का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों केविरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने व प्रभावी तरीके से चेकिंग किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली सदर विनय कुमार सिंह, व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के पर्यवेक्षण में विनोद कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.08.2024 को करीब 17.35 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 195/24 धारा 305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित तीन संदिग्ध व्यक्ति (1) सोनू सोनकर पुत्र मिश्री सोनकर निवासी सोनकर बस्ती दामोदर दास पोखरा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष व दो बाल अपचारी को चेकिंग के दौरान ग्राम रेवसा रिंग रोड रेलवे अन्डर पास के पास से दबिश देकर पकड़ लिया गया । अभियुक्तो का एक संगठित गिरोह है । जो मुगलसराय व अलीनगर क्षेत्र में गहनो/जेवरात की

चोरी करते है। जिनके कब्जे से पीली धातु के गहने व जेवरात बरामद हुए जिसको रेवसा रिंग रोड रेलवे अन्डर पास से चोरी किये हुए गहनों का बटवारा कर बेचने के फिराक में थे। इनके द्वारा मु0अ0सं0 195/2024 से सम्बन्धित चोरी के गहनो को बरामद गिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 195/2024 धारा 305/331(4) में धारा 317(2) बीएनएसकी बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ अभियुक्तगण- अभियुक्तगण के पूछताछ करने बर बता रहे है कि हम लोगो द्वारा मुगलसराय क्षेत्र में कई चोरियाँ की गयी थी तथा हमारे ऊपर थाना मुगलसराय चोरी में कई मुकदमें पंजीकृत है। उक्त मुकदमो की पैरवी में वकील को देने के लिये हमारे पास पैसे नही थे। हम लोगो ने लोको कालोनी में रेकी लगायी तथा वहाँ एक घर में दीवार काटकर औऱ पिछला दरवाजा खोलकर एंव गोदरेज का लाक तोडकर गहने चोरी किये थे तथा उन गहनो को हम लोगो द्वारा छिपा दिया गया था। आज मौका पाकर हम लोगो अन्डर पास नीचे बटवारा कर रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी बरामदगी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 31.08.2024

समय – 17.35 बजे

स्थान – रेवसा रिंग रोड रेलवे अन्डर पास के नीचे थाना क्षेत्र अलीनगर जनपद चन्दौली।

अभियुक्तगण का नाम पता व अपराधिक इतिहास-

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1-सोनू सोनकर पुत्र मिश्री सोनकर निवासी सोनकर बस्ती दामोदर दास पोखरा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष

2- 02 बाल अपचारी

1-अभियुक्त सोनू सोनकर पुत्र मिश्री सोनकर निवासी सोनकर बस्ती दामोदर दास पोखरा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 195/2024 धारा धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

अभियुक्त सोनू सोनकर के पास से बरामद माल-

हार – 1 पीस

कील – 6 पीस

कान की बाली – 2 पीस

बिन्दी – 1 पीस

चैन – 1 पीस

टप्स – 2 पीस

नथियाँ का टुकड़ा – 1 पीस

आपराधिक इतिहास दोनो बाल अपचारीगण व बरामदगी

मु0अ0सं0 0004/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0 0010/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0 0011/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0 0012/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0 0013/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0 0361/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0 195/2024 धारा धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2-बाल अपचारी के पास से बरामद माल-

झुमका – 2 पीस

अँगुठी- 6 पीस

चेन पीली धातु- 1 पीस

नथिया का लर पीली धातु- 1 पीस

3-बाल अपचारी के पास से बरामद माल-

माँग टीका – 1 पीस

नथिया- 1 पीस

कनोटी – 2 पीस

चेन – 1 पीस

चेन व लाकेट – 2 पीस

झुमका – 1 पीस

टप्स – 2 पीस

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 शैलेन्द्र कुमार 1 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 शैलेन्द्र कुमार 2 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 वीर बहादुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव के दृष्टिगत की गई तैयारियों का लिया गया जायजा

□01 से 03 सितम्बर तक चलने वाले जन्मोत्सव / सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मद्देनजर किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध

□01 सितंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के दौरे के सुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु तैनात किए गए हैं प्रर्याप्त पुलिस बल

□ लगातार सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम से रखी जायेगी निगरानी

□ सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात किए गए प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा किया गया ब्रीफ

□ पूर्ण चैतन्यता व निष्ठा पूर्वक दायित्व निर्वहन हेतु किया गया निर्देशित

चंदौली- जनपद के थाना बलुआ अन्तर्गत स्थित बाबा कीनाराम मठ, रामगढ़ में 01-03 सितंबर तक मनाएं जाने वाले बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव की समस्त तैयारियां जिला पुलिस व प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। आज जिलाधिकारी निखिल टी फुण्डे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एसपी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था हेतु ड्यूटी में लगाये गये पुलिस बल को ब्रीफ कर अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी, सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुये पूरी गम्भीरता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कोई भी अप्रिय सूचना अथवा संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु की जानकारी मिलने पर अविलंब सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें। यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत बनाए गए वाहन पार्किंग में ही खड़े हो तथा मेले में आने वाले लोगों/दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो। मेले को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। मेले में सादे कपड़ों में पुरूष व महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है, जो चैन स्नेचरों व अवांछनीय तत्वों पर विशेष नजर बनाये रखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिग कराई जाएगी। वहीं वाहनों के पार्किंग का भी इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा चंदौली जिले में रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर 01 सितंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के दौरे के लिए जिलाधिकारी चंदौली निखिल टी फुण्डे व पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया व मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस प्रबंधन के साथ ही मन्दिर परिसर में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधाओं व उनके बैठने, पीने के पानी, महिला शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान दिया जाने व कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान न आए इसके लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.09.2024

थाना धीना, जनपद चन्दौली

➡️ श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना धीना पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

➡️गोवंश की तस्करी करने जैसे अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 02 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना धीना द्वारा गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

➡️लिलधर बिन्द व शिव मोहन बिन्द गोवंशो की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध में है संलिप्त

➡️इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंशो की तस्करी

➡️ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह व रघुराज क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल निर्देशन में रमेश यादव प्रभारी निरीक्षक थाना धीना द्वारा एवं थाना धीना पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं गोतस्करो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक धीना द्वारा थाना क्षेत्र में गोतस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर 1.लिलधर बिन्द पुत्र स्व0 रामपति बिन्द निवासी किशुनपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र करीब 45 वर्ष 2 शिव मोहन बिन्द पुत्र स्व0 गोपी बिन्द निवासी कवईपहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र करीब 55 वर्ष के विरूद्ध मु0अ0स0 75/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करायी गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंगलीडर – 1. लिलधर बिन्द पुत्र स्व0 रामपति बिन्द निवासी किशुनपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

गैंगसदस्य –1. शिव मोहन बिन्द पुत्र स्व0 गोपी बिन्द निवासी कवईपहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास का विवरण-

गैंग लीडर- लिलधर बिन्द पुत्र स्व0 रामपति बिन्द निवासी किशुनपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1. मु0अ0सं0- 0036/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना धीना , चन्दौली।

2. मु0अ0सं018/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3. मु0अ0सं022/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

4. मु0अ0सं0-29/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

5. मु0अ0सं079/2021 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

सदस्य- शिव मोहन बिन्द पुत्र स्व0 गोपी बिन्द निवासी कवईपहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1. मु0अ0सं0- 36/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0थाना धीना जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0-18/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना धानापुर जनपद चन्दौली

। 3.. मु0अ0सं0-23/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली

2. उ0नि0 उ0नि0 सतीश प्रकाश

3. हे0का0 विपिन यादव

4. हे0का0 मधुकर उपाध्याय

5. हे0का0 अजय तिवारी

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 01.09.2024

थाना साईबर क्राईम, चन्दौली

थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा आवेदिका से हुए धोखाधड़ी की धनराशि ₹ 80,000/- वापस कराया गया

श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आवेदिका हर्षिता सिंह पुत्री श्री कृष्ण मोहन निवासी बेस्टर्न बाजार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के खाते से ₹ 80,000/- लोन का इंश्योरेन्स कराने के नाम से आनलाइन धोखाधडी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका हर्षिता सिंह उपरोक्त द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम, वीरेन्द्र कुमार की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि ₹ 80,000/- को आवेदक के खातें में वापस कराया गया। आवेदिका हर्षिता सिंह उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली व थाना साइबर क्राइम टीम को धन्यवाद/आभार प्रकट किया गया है।

नाम पता आवेदक-

आवेदिका हर्षिता सिंह पुत्री श्री कृष्ण मोहन निवासी बेस्टर्न बाजार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

फ्राड का दिनांक- 08.09.2023

विवरण बरामदगी-

वापस करायी गयी धनराशि रुपया 80,000/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0 नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

हे0का0 पवन कुमार यादव

का0 मो0 नौशाद

का0 राहुल यादव

का आशुतोष भारद्वाज

प्रेस नोट दिनांक-01.09.2024

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:-

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनाँक 01.09.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना को अंजाम देने में संलिप्त सहित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

चन्दौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्वेक्षण/निर्देशन में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना नौगढ़ पर गठित पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 31.08.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/24 धारा 103(1/)238 BNS से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को समय 16.00 बजे गिरफ्तार किया गया व 01 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना- अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि लगभग 15 दिन पहले मृतक रामअवतार उर्फ सिपाही से बत्तक के अंडे को लेकर मारपीट हुई थी। मृतक व उसके साथियों व मंजीत कुमार में विवाद हुआ था। इसी कारण से मंजीत ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर मृतक रामअवतार उर्फ सिपाही को शराब पिलाकर पत्थर से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी थी।

पजीकृंत अपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 85/24 धारा 103(1/)238 BNS थाना नौगढ,चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मंजीत कुमार पुत्र समई नि0 ग्राम कोठीघाट थाना नौगढ जनपद चन्दौली 19 वर्ष

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण -

1. थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अवधेश सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 मनोज कुमार यादव बाल कल्याण अधिकारी थाना नौगढ जनपद चन्दौली
4. हे0का0आशुतोष सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
5. का0 संदीप यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 02 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावनी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में आज दिनांक 01.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 02 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस नोट-दिनांकः 01.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 01.09.2024 को कुल 74 वाहनों का चालान करते हुए 86,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 74 वाहनों का चालान करते हुए 86,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्लघन का प्रकार चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-10

2 बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-01

3 बिना हेलमेट- 31

4 नो पार्किंग- 15

5 गलत नम्बर प्लेट- 02

6 लाइसेंस ना होना- 04

7 गलत दिशा में वाहन चलाना-09

8 सीट बेल्ट-01

9 बिना फिटनेस- 01

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 01.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः- 74

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-86,500/- रूपयें।